न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :—

1. इन्द्रजीत पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. रामस्वरूप पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. सत्यनारायण पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. सन्तोष 5 राजबाला पुत्रीया कुरडाराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 30.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 14/66 के प0न0 378/431(74) किला न0 16 से 25/0.253हैक कुल 2.530हैक, प0न0 377/432(88) किला न0 5/0.253हैक , 6/0.253 ,15/2 की 0.1270हैक , प0न0 378/432(89) के किला न0 1 ता 21/प्रत्येक 0.253 कुल 5.3130हैक प0न0 379/432(90) के किला न0 1 ,10 ,11/0.759हैक कुल 9.2350हैक भूमि जिनके मनीराम वल्द बुद्धराम जाति जाट रामगढ खातदार काश्तकार था। वादी के दादा मनीराम का देहान्त होने के बाद दस्तबरदारी होने व वादी के पिता व उसके भाई पर बहिब दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 14 एनटीआर के खाता संख्या 14/168 की कुल 9.2350हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरासतन से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बहिब का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष मे किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से वाद भूमि दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समथन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि सेही मौजा 14 एनटीआर के खाता संख्या 14/66 की कुल 9.2350हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official